निर्णय दिनांक :—

वादी की और से श्री सुरेन्द्र सिंहाग अधिवक्ता, राजपेरोकार की उपस्थिति में आज दिनांक 08/07/21 को कपिल यादव आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर निम्नाकिंत भूमियो के वादी एंव प्रतिवादी उनके नाम के आगे अकिंत भूमि के खातेदार है तथा सारणी में अकिंतानुसार भूमि का खाता तकसीम करने की घोषणा की जाती है

नाम चक	खाता संख्या	नाम काश्तकार	पत्थर नम्बर	मु. नं.	कि. न.	कुल रकबा	किस्म
2 आरआरडब्लयू	46	गुरमेल सिंह बल्द अजायब सिंह जाति जटसिख साकिन चन्दडा खातेदार (वादी)	148 / 230	46	2,3,8,9, 12,13,20	1.771	अनकमाण्ड
5 एलएलडब्लयू	17		कुल योग			1.771	अनकमाण्ड
			147 / 225	53	11/.1265, 20/.253		अनकमाण्ड .1265 नहरी .0.253
			कुल योग			0.3795	अनकमाण्ड 0.1265 नहरी 0.253
5 एलएलडब्लयू	17	गुरतेज सिंह पुत्र नायब सिंह जाति जटसिख साकिन चन्दडाउ खातेदार (प्रतिवादी संख्या 1)	146 / 224	48	25	0.253	अनकमाण्ड
			146 / 225	54	5	0.1265	अनकमाण्ड
			कुल योग			0.3795	अनकमाण्ड
5 एलएलडब्लयू	17	अग्रेज सिंह पुत्र नायब सिंह जाति जटसिख साकिन चन्दडा खातेदार (प्रतिवादी संख्या 2)	147 / 225	53	10 / .253, 11 / .1265	0.3795	अनकमाण्ड
			कुल योग			0.3795	अनकमाण्ड
5 एलएलडब्लयू	17	गुरमीत सिंह पुत्र नायब सिंह जाति जटसिख साकिन चन्दडा (प्रतिवादी संख्या 3)	146 / 225	54	5 / .1265, 15 / .253	0.3795	अनकमाण्ड
			कुल योग			0.3795	अनकमाण्ड

तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भारमुक्त होने की दशा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अकंन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी / बिरानी / गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावे। खर्चा फरीकेन अपना – अपना वहन करेगे।

यह अन्तिम डिकी आज दिनांक 08/07/21 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गई।

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एंव
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़।

मिलान किया

प्रमाणित प्रतिलिपि

रीडर
उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned with CamScanner